न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 15/2018

अपीलांट

श्रीमति डगरीबाई पत्नी श्री तारारामजी जाति सीरवी निवासी शेखावास, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्रीमती तुलसीदेवी पत्नी श्री भानारामजी जातिगण सीरवी निवासीगण शेखावास, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।
2. नेमाराम पुत्र श्री भानारामजी जातिगण सीरवी निवासी मांडा, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।
3. श्रीमती लीलादेवी पुत्री श्री भानारामजी जाति सीरवी निवासी मांडा, तहसील सोजत जिला पाली।
4. श्रीमति गंगा पत्नी श्री चुन्नीलालजी
5. श्रीमति प्यारीदेवी पत्नी श्री तुलसारामजी जातिगण सीरवी निवासीगण रिसाणीया, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।
6. श्रीमति मेनादेवी पत्नी श्री दुर्गेशजी जाति सीरवी निवासी सोजतरोड, तहसील सोजतसिटी, जिला पाली।
7. श्रीमति पानी पत्नी श्री देवारामजी जाति सीरवी निवासी फुलाद रोड, तहसील सोजत रोड, तहसील सोजतसिंटी , जिला पाली।
8. चेलाराम पुत्र श्री खरतारामजी जाति सीरवी निवासी सोजत रोड, तहसील सोजत, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री घेवरराम गहलोत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06
श्री धर्मेन्द्र कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 07 व 08

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 173 में आने जाने हेतु अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 07 व 08 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 178/1 व 177/1 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। खसरा नंबर 173 सामलाती रेस्पोडेन्ट का सहखातेदारी का है। जिसके सहखातेदार रेस्पोडेन्ट चेलाराम पुत्र खरतारामजी है। चेलाराम पुत्र खरतारामजी खसरा नंबर 173 व 178 का भी सहखातेदार है। रेस्पोडेन्ट चेलाराम अपनी आराजी को बेचना था, इसलिये रेस्पोडेन्ट तुलसी वगैरा जो खसरा नंबर 173 में सहखातेदार के साथ मिलकर खसरा नंबर 178/1 व 177/1 में रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जो कि दुर्भावना प्रर्वक है। सहखातेदार की कृषि भूमि खसरा नंबर 178/1 व 177/408/1 की कृषि भूमि उपलब्ध है। जो रास्ता इस खसरे से ही प्राप्त किया जाना चाहिये था। खसरा नंबर 178/1 व 177/1, 177/408/1 के दक्षिण की तरफ रास्ता रिकार्ड में दिया जा सकता है। जो कि सुलभ रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.06.2017 को प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलांट के कही भी हस्ताक्षर नहीं है एवं न ही अपीलांट को इस बाबत कोई नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन विधि अनुसार प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही तस्दीक एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। अपीलांट की भूमि का नाप दर्ज कर इसके लिये जो राशि निर्धारित की है वह विधि अनुसार नहीं है। मोके पर भाव इससके कई गुणा अधिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट की प्रोपर तामिल करवाये बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया हैं जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 173 में आने जाने हेतु अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 07 व 08 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 178/1 व 177/1 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 07 व 08 को नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस पर अपीलांट डगरीदेवी पर अपीलांट के पति ताराराम से मोबाईल पर बात होने एवं नोटिस प्राप्त करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त तहसीलदार मारवाड जंक्शन से वादग्रस्त आराजी के संबध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 28.06.2017 में यह स्पष्ट अंकन है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक एवं नजदीकतम है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 173 में आने जाने हेतु अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 07 व 08 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 178/1 व 177/1 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 07 व 08 को नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस पर अपीलांट डगरीदेवी पर अपीलांट के पति ताराराम से मोबाईल पर बात होने एवं नोटिस प्राप्त करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के संबध में होने वाली समस्त कार्यवाही की जानकारी के बावजूद उपस्थित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त तहसीलदार मारवाड जंक्शन से वादग्रस्त आराजी के संबध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 28.06.2017 में यह स्पष्ट अंकन है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक एवं नजदीकतम है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

किन्तु वकील अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष जमाबंदी संवत 2070 से 2073 प्रस्तुत की गई। जिसके अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 173 के संबध मे "नामान्तरण संख्या 772/15.02.2016 के अनुसार तुलसीबाई पत्नी भानाराम के स्थान पर मालाराम पुत्र भानाराम दर्ज किया। शेष बदस्तूर।" का अंकन है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय तुलसीबाई वादग्रस्त खसरा नंबर 173 की खातेदारी ही नहीं थी। किन्तु हस्तगत प्रकरण में भी यह निर्विवाद सत्य है कि शेष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 173 के सहखातेदार है। एवं उक्त पक्षकारान ने भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर वादी संख्या 02 से 06 धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। जिसे पूर्णतया विधि विरूद्ध कहा जाना उचित नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 173 के समस्त खातेदारो की जांच किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 173 से संबधित समस्त खातेदारो को पक्षकार संयोजित कर पुन विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली